राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :– 69 /2022 गा॰का

1. धापूबाई पति ज्वारा जाति तेली निवासी चिलेश्वर तहसील करेड़ा वगैरह

प्रार्थी.......

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार सा॰ करेड़ा

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 8/6/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 553 554 286 आराजी नम्बर 776/0.7841, 811/0.8473, 813/0.6703, 814/0.1770, 815/0.4173, 816/0.3162, 817/0.1012, 818/0.2656, 819/0.1138, 792/0.0126, 2658/1681/0.7588, 2382/806/0.2529, 2986/1681, 2987/1681/0.6323, 786/0.3754, 787/0.4553, 788/0.1644, 789/0.0755, 790/0.2529, 791/0.4173, 793, 794, 795, 796, 797 कुल किता 25 रकबा .... हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 8/6/22 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 553, 554, 286 आराजी नम्बर 776, 811, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 792, 2658/1681, 2382/806, 2986/1681, 2987/1681, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 793, 794, 795, 796, 797 कुल किता 25 रकबा 8.2259 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक .... को 2000/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

संलग्नः– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

धापू देवी

2022/385

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:47:13 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज नं. 02......